

श्री शैलेश सुराणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 30/2017

वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट.

- 1- उपरि उर्फ राया पिता नवला मीणा नि. नयाखेडा तह. बड़ीसादड़ी
 2- भावानी उर्फ भगवान कुंवर पिता नवला मीणा नि. नयाखेडा तह. बड़ीसादड़ी
 -वादीगण

बनाम

- 1- मांगु पिता नवला मीणा नि. नयाखेडा तह. बड़ीसादड़ी
 2- देवा पिता नवला मीणा नि. नयाखेडा तह. बड़ीसादड़ी
 3- समदेव पिता नवला मीणा नि. नयाखेडा तह. बड़ीसादड़ी
 4- माथीबाई पत्नी नवला मीणा नि. नयाखेडा तह. बड़ीसादड़ी
 5- उपरिलेख बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। नसिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है।

अपील किया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -

मीला बत्ती की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1- उपरि उर्फ राया पिता नवला मीणा नि. नयाखेडा तह. बड़ीसादड़ी

आ. नं.	रकबा	लगान
1524/1	0.10	0.80
1	0.10	0.80

- 2- भावानी उर्फ भगवान कुंवर पिता नवला मीणा नि. नयाखेडा तह. बड़ीसादड़ी

आ. नं.	रकबा	लगान
1524/3	0.11	0.88
1	0.11	0.88

- 3- समदेव पिता नवला मीणा नि. नयाखेडा तह. बड़ीसादड़ी

आ. नं.	रकबा	लगान
1524/2	0.11	0.88
1	0.11	0.88

- 4- मांगु पिता नवला मीणा नि. नयाखेडा तह. बड़ीसादड़ी

आ. नं.	रकबा	लगान
1524/4	0.11	0.88
1	0.11	0.88

- 5- माथीबाई पत्नी नवला मीणा नि. नयाखेडा तह. बड़ीसादड़ी

आ. नं.	रकबा	लगान
1524/5	0.11	0.88
1	0.11	0.88

- 6- देवा पिता नवला मीणा नि. नयाखेडा तह. बड़ीसादड़ी

आ. नं.	रकबा	लगान
1524/6	0.11	0.88
1	0.11	0.88



इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे। निर्णय आज दिनांक 13.8.18 को कोर्ट ईजलास में सुनाया गया।



शैलेश सुराणा
 सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
 आर.ए.एस.
 पब्लिक प्रोसेसिंग, फास्ट-ट्रैक, बड़ीसादड़ी जिल्ला इलाहाबाद
 सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी